संख्या-27/2024/आई/479106/23-1-24/002-23-1002(002)/272/2023

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 24 जनवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के कुल 21 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में अंकित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तालिका-2 के उल्लिखित विभिन्न जनपदों **के कुल 21 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 19,46,75,000/- (रूपये उनीस करोड़ छियालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्रांक व दिनांक
1	2
1	7335/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2023-24 7381/CE-HQ1/RSN5054/ALI/2023-24
2	7338/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2023-24
3	7374/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2023-24
4	7377/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2023-24
5	7334/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2023-24 7376/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2023-24
6	7375/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2023-24
7	7378/CE-HQ1/RSN5054/KNP/2023-24
8	7380/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2023-24
9	7336/CE-HQ1/RSN5054/BAN/2023-24
10	7337/CE-HQ1/RSN5054/GON/2023-24
11	7382/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2023-24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. हाथरस	हाथरस जलेसर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	819 /2023 /1651 रासनि/ 23-1-23/ 001-05(बी)/आर एसएन-एएलआई / 2023- दिनांक- 05-09-2023	3698.63 3698.63 2452.90 31.15 3667.48	1248.28	2419.20	647.26
2	नि.ख. कासगंज	ग्राम चकरा से नगला फौजी होते हुए कंचनपुर तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/ 23-1-21-82 रासनि/ 20- दिनांक- 19-03-2021	279.63 279.63 161.51 60.34 219.29	215.29	4.00	4.00
3	नि.ख. कासगंज	ग्राम बरौना से गजौरा तक मार्ग के नव निर्माण कार्य।	98/2021/242 रासनि/ 23-1-21-82 रासनि/ 20- दिनांक- 19-03-2021	184.53 184.53 113.48 37.32 147.21	127.21	20.00	20.00
4	प्रा.ख. मुजफ्फर नगर	धौलरा सिसौली बुढाना अ0जि0 मा0 की चैनेज 0.000 से 14.650 में खेड़ी सुडियान, सिसौली, मुण्डभर पुलिया एवं मून लाईट स्कूल होते हुये शाहपुर बसी मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	224 /2023/494 रासनि / 23-1-23/001-16 आरएसएन/ 2022 टीसी दिनांक- 23-02-2023	2250.38 2250.38 1041.72 310.53 1939.85	829.23	1110.62	275.00
5	प्रा.ख. पीलीभीत	पीलीभीत मझोला मार्ग से माधोपुर चैक फरीदपुर अमखिडिया डांग रिछा जहानाबाद मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	271 /2023/198 रासनि / 23-1-23/001-09 आरएसएन/ 2023 दिनांक- 13-03-2023	486.13 486.13 349.29 5.67 480.46	231.67	248.79	112.24
6	प्रा.ख. महराजगंज	सिरसिया तरकुलवां से नहर पटरी होते हुए बुद्धिरामपुर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	347/2021/739 रासनि/ 23-1-21-102 रासनि/ 20- दिनांक- 15-12-2021	340.79 340.79 175.82 25.50 315.29	278.05	37.24	27.93
7	प्रा.ख. अयोध्या	अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग (एन0 एच0-330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क का नव निर्माण कार्य।	143/2021/270 रासनि/ 23-1-21-107 रासनि/ 20- दिनांक- 21-06-2021	2017.05 2017.05 1536.47 0.10 2016.95	1822.53	194.42	97.21
8	प्रा.ख. अयोध्या	विकास खण्ड मया में वीरमपुर ककरहा पक्की सड़क से कुम्हिया होते हुये मया तक मार्ग निर्माण।	40/2021/1937 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	315.66 315.66 264.62 0.54 315.12	258.62	56.50	28.25
9	प्रा.ख. अयोध्या	पुरैनी से बनमानुष का पुरवा , जोगापुर , राजापुर सरैया होते हुये देवरा दाउदपुर तक मार्ग का निर्माण।	40/2021/1937 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	339.56 339.56 284.62 0.52 339.04	278.31	60.73	30.37
10	प्रा.ख. अयोध्या	बंदनपुर उतरेथू सम्पर्क मार्ग पर संग्राम दूबे का पुरवा राम	40/2021/1937 रासनि/ 23-1-21-68	318.16 318.16 195.10	256.00	61.66	30.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		नयन के घर से रेवरी जगदीशपुर गोदमवा होते हुये भिटौरा (महबूबगंज गोसाईगंज सम्पर्क मार्ग) तक मार्ग का नवनिर्माण।	रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	0.50 317.66			
11	नि.ख.- 3 बाराबंकी	बाराबंकी जेल न्योरी ग्वारी से देवा कुर्सी रोड वाया टीपहार मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के पुनर्निर्माण का कार्य।	987/2023/ आई/ 412075/23-1-23/001-23-1002(002)/191/2023 - दिनांक- 20-10-2023	386.57 386.57 234.00 20.00 366.57	96.64	269.93	80.00
12	नि.ख.- 1 सीतापुर	सिधौली-बिसवां मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग सं0. 23 सी) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	248/2023/1400 रासनि/ 23-1-22/001-66 आरएसएन/ 2022 टी 0 सी 0-2- दिनांक- 09-03-2023	4192.68 4192.68 2806.77 85.71 4106.97	3252.67	854.30	322.34
13	नि.ख.- 1 कानपुरदेहात	ततारपुर (डेरा- 2) से बहावपुर वाया मदारीपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण। (छूटी कड़ी)	84/2021/136 रासनि/ 23-1-21-81 रासनि/ 2020- दिनांक- 13-03-2021	179.09 179.09 144.69 3.47 175.62	172.36	3.26	3.26
14	नि.ख.- 1 कानपुरदेहात	चांदपुर बलिहारामऊ मार्ग से मुरादपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण। (छूटी कड़ी)	40/2021/1937 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20 टीसी- दिनांक- 07-01-2022	16.23 16.23 13.17 0.11 16.12	14.54	1.58	1.58
15	नि.ख.- 1 कानपुरदेहात	कालपी मार्ग से सुखसौरा मार्ग के किमी 1 से 3 में पुनर्निर्माण का कार्य।	75 /2023/1397 रासनि/ 23-1-2022/001-62 आरएसएन/ 2022 दिनांक- 11-01-2023	75.75 75.75 59.81 0.17 75.58	62.01	13.57	13.57
16	प्रा.ख. गाजीपुर	सादात मंगारी शम्भुपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण	25/2022/1885 रासनि/ 23-1-21-119 रासनि/ 21 - दिनांक- 05-01-2022	186.41 186.41 118.98 8.63 177.78	139.43	38.35	28.76
17	प्रा.ख. चंदौली	माटीगांव से खगवल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	85/2021/495 रासनि/ 23-1-21-58 रासनि/ 20- दिनांक- 17-03-2021	111.87 111.87 71.38 12.25 99.62	89.66	9.96	9.96
18	प्रा.ख. चित्रकूट	भौंरी नांदी मार्ग के किमी 08 से ग्राम नांदी में गढ़ही तालाब होकर कुंजल के दरवाजे तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य	214/2021/908 रासनि/ 23-1-21-102 रासनि/ 20- दिनांक- 03-10-2021	81.28 81.28 54.63 4.23 77.05	60.35	16.70	16.70
19	नि.ख.- 1 बहराइच	खुटेहना हुजूरपुर मार्ग से धर्मराज सिंह के भट्ठा होते हुए गौड़रिया सं0 मार्ग	315/2021/654 रासनि/ 23-1-21-68 रासनि/ 20 टी 0 सी 0- दिनांक- 30-11-2021	239.91 239.91 183.92 9.41 230.50	193.87	36.63	27.47
20	प्रा.ख. बलरामपु	जनपद बलरामपुर में हरिहरगंज ललिया बनकटवा	39 /2023/1177 रासनि/ 23-1-2022/001-64	10568.09 10568.09 8259.97 42.41	9271.90	1253.78	147.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	र	मार्ग (अ0जि0मा0) चैनेज 0.000 से 31.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	आरएसएन/ 2022 दि 05.01.2023- दिनांक- 05-01-2023	10525.68			
21	प्रा.ख. बस्ती	दुबौला पचपेड़वा किमी-2 से बुधईपुर से तकियवा से मसजिदिया चरपुवा तक मार्ग।	153/2021/289 रासनि/ 23-1-21-104 रासनि/ 20 टीसी- 3- दिनांक- 16-07-2021	294.17 294.17 247.44 2.10 292.07	262.65	29.42	22.07
						कुल योग-	1946.75

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **कुल रू0 19,46,75,000/- (रूपये उनीस करोड़ छियालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-27/2024/आई/479106(1)/23-1-24/002-23-1002(002)/272/2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in